प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.12.2024

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त मुकीम पुत्र मतिन निवासी सन्नू मार्केट पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा वादिया की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर उसके साथ पिछले 01 साल से दुष्कर्म करना तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा-64(2)M/351(3) बीएनएस व 5L/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौहम्मद मुकीम पुत्र मतिन निवासी सन्नू मार्केट पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि पीड़िता मेरे पडोस में रहती है। मैं और पीड़िता दोस्त थे तथा एक-दूसरे से बातचीत करते थे। मैंने पीडिता को शादी का झांसा देकर पिछले 01 वर्ष से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे तथा किसी से शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौहम्मद मुकीम पुत्र मतिन निवासी सन्नू मार्केट पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त घटना के संबंध में दुष्कर्म का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा सट्टा लगाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1500 रूपये व 2 सट्टा पर्ची,पैड गत्ता व 01 पेन बरामद।

दिनांक 22.12.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर सट्टा लगाने वाला अभियुक्त पवन कुमार पुत्र देवतादीन हाल निवासी बेहटा हाजीपुर में किरायेदार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, मूल निवासी अलोलापुर तोली थाना शिवगढ़ जिला रायबरेली, उम्र करीब 38 वर्ष को नहर रोड ठेके के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 1500/- रूपये व 02 सट्टा पर्ची,

पैड गत्ता व 01 पेन बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं आसपास की कॉलोनियो में घूम फिरकर लोगों को चोरी छिपे सट्टा खिलवाने का काम करता हूँ। मैं सट्टे की खाईबाडी के लिए घूम रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पवन कुमार पुत्र देवतादीन हाल निवासी बेहटा हाजीपुर में किरायेदार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, मूल निवासी अलोलापुर तोली थाना शिवगढ़ जिला रायबरेली, उम्र करीब 38 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 1500/- रूपये व 02 सट्टा पर्ची, पैड गत्ता व 01 पेन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार एवं 02 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया। जिनके कब्जे से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 45 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 21.12.2024 को थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एनडीआरएफ रोड मैदान से 01 अभियुक्त गिरफ्तार कर 02 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया है जिनके कब्जे से भिन्न – भिन्न कम्पनियों के कुल 45 मोबाइल फोन बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त शिव कुमार ने बताया कि यह मोबाईल हमने चोरी किये हैं ये सभी मोबाइल हमारे द्वारा गाजियाबाद में लगने वाले साप्ताहिक बाजारो एवं बस स्टैण्डों तथा भीड़-भाड वाले स्थानों से अलग अलग व्यक्तियों की जेबो से चोरी किये है हमको नहीं पता कि कौन-कौन सा फोन किस जगह से चोरी किया हैं हम तीनों साथ मिलकर चोरी करते हैं। और हम इन मोबाइलों को आने-जाने वाले राहगीरो को सस्ते दामो पर बेच देते हैं। उपरोक्त दोनों बाल अपचारी ने अभियुक्त शिव कुमार की बात का समर्थन किया।

बरामदगीः-1.कम्पनी- OPPO, रंग- SKY BLUE, IMEI NO- 860427054258136, 860427054258128, मोबाईल न0 2. कम्पनी- REDMI, रंग-SKY BLUE, MODULE N0- M2003J6A1I, IMEI NO- 864782049067075, 864782049067083, मोबाईल न0- 3. कम्पनी- POCO, रंग- BLACK, MODULE N0- 23049PCD8I, IMEI NO- 861975061159761, 861975061159779, मोबाईल न0- 4. कम्पनी- VIVO, रंग- DARK BLUE, IMEI NO- 863794060386814, 863794060386806, मोबाईल न0- 5. कम्पनी- REDMI, रंग- DARK BLUE, IMEI NO- 863287044680477, 863287044680485, मोबाईल न0- 6. कम्पनी- REALME, रंग- WHITE, MODULE- RMX3563 IMEI NO- 867214061118476, 867214061118468, मोबाईल न0- 7. कम्पनी- XIAOMI, रंग- BLACK, MODULE- 2109119DI IMEI NO- 860588057100912, 860588057100920, मोबाईल न0- 8. कम्पनी REDMI, रंग- BLACK, MODULE- 21061119BI IMEI NO- 869379055024101, 869379055024127, मोबाईल न0- 9. कम्पनी INFLIX, रंग- WHITE, MODULE- M697, IMEI NO- 352231212862002, 352231212862010, मोबाईल न0- 10. कम्पनी POCO, रंग-

BLACK, MODULE- 22031116AI, IMEI NO- 861737069399603, 861737069399611, मोबाईल न0- 11. कम्पनी ONE PLUS, रंग- BLUE, MODULE- CPH2381, IMEI NO- 861871061906337, 861871061906329, मोबाईल न0- 12. कम्पनी ONE PLUS, रंग- GREY, MODULE- DN2101, IMEI NO- 866448052829458, 866448052829441, मोबाईल न0- 13. कम्पनी OPPO, रंग- SLIVER, MODULE- CPH2471, IMEI NO- 860109062888175, 860109062888167, मोबाईल न0- 14. कम्पनी SAMSUNG, रंग- BLACK, MODULE- G990EDS, IMEI NO- 356350644932021, 358259364932020, मोबाईल न0- 15. कम्पनी OPPO, रंग- PURPLE, MODULE- CPH2665, IMEI NO- 869787072052832, 869787072052824, मोबाईल न0- 16. कम्पनी OPPO, रंग- COFFEE, MODULE- CPH2603, IMEI NO- 860600077180376, 860600077180368,मोबाईल न0- 17. कम्पनी POCO, रंग- LIGHT GREEN, MODULE- 23128PC33I, IMEI NO- 868398069411980, 868398069411998, मोबाईल न0- 18. कम्पनी OPPO, रंग- BLUE, MODULE- CPH2083, IMEI NO- 860302040991696, 860302040991688, मोबाईल न0- 19. कम्पनी NARJO, रंग- BLACK, MODULE- RMX3782, IMEI NO- 867528068898495, 867528068898487, मोबाईल न0- 20. कम्पनी REDMI, रंग- SKY BLUE, MODULE- 23076RN4BI, IMEI NO- 861515076080428, 861515076080436, मोबाईल न0- 21. कम्पनी REALME, रंग- LIGHT GREEN, MODULE- RMX3471, IMEI NO- 868707063683974, 868707063683966, मोबाईल न0- 22. कम्पनी OPPO, रंग- DARK BLUE, MODULE- CPH2477 IMEI NO- 862611066547655, 862611066547648, मोबाईल न0- 23. कम्पनी SAMSUNG, रंग- DARK BLUE, MODULE- M556B, IMEI NO - 350269500743257, 351219550743250, मोबाईल न0- 24. कम्पनी OPPO, रंग- BLUE, MODULE- CPH2269, IMEI NO- 861831051702559, 861831051702542, मोबाईल न0- 25. कम्पनी OPPO, रंग- BLACK, MODULE- CPH2325, IMEI NO- 864883057595591, 864883057595583 तथा बैग से बरामद 18 मोबाईल जिनकी IMEI ज्ञात नहीं हो सकी इनमें मोबाईल न0- 26. कम्पनी APPLE(I PHONE), रंग- WHITE, मोबाईल न0- 27. कम्पनी REDMI, रंग- NAVY BLUE, मोबाईल न0- 28. कम्पनी TECNO, रंग- WHITE, मोबाईल न0- 29. कम्पनी REDMI, रंग- LIGHT GREEN, मोबाईल न0- 30. कम्पनी REALME, रंग- SKY BLUE, मोबाईल न0- 31. कम्पनी VIVO, रंग- LIGHT GREEN, मोबाईल न0- 32. कम्पनी OPPO, रंग- NAVY BLUE, मोबाईल न0- 33. कम्पनी SAMSUNG, रंग- BLUE, मोबाईल न0- 34. कम्पनी SAMSUNG, रंग- WHITE BLUE, मोबाईल न0- 35. कम्पनी NOTHING, रंग- BLACK, MODULE NO- A063, मोबाईल न0- 36. कम्पनी NARJO, रंग- BLACK, मोबाईल न0- 37. कम्पनी SAMSUNG, रंग- BLACK, मोबाईल न0- 38. कम्पनी ONE PLUSE, रंग- GREAY,मोबाईल न0- 39. कम्पनी SAMSUNG, रंग- DARK GREEN, मोबाईल न0- 40. कम्पनी REDMI, रंग- NAVY BLUE, मोबाईल न0- 41. कम्पनी POCO, रंग- BLACK, मोबाईल न0- 42. कम्पनी SAMSUNG, रंग- BLACK, मोबाईल न0- 43. कम्पनी VIVO, रंग- BLACK, बरामद हुए

अभियुक्त का नाम पता-

1. शिव कुमार महतो पुत्र सुखदेव महतो निवासी- ग्राम महाराजपुर नया टोला थाना -तिलमाडी जिला सहाबगंज झारखंड उम्र 26 वर्ष, हाल पता सिद्धार्थ विहार 20 फुटा रोड़ थाना क्रासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद
2. दो बाल अपचारी

अन्य विवरण - बरामद मोबाईलो के संबध में थाना कविनगर पर पूर्व से 02 अभियोग मोबाईल चोरी के पंजीकृत है , व 07 मोबाईल भी कनैक्ट हुए है।

गिरफ्तार करने वाले टीमः-
थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर पीड़िता द्वारा एक लिखित सूचना दी गयी कि पीडिता के गांव के रहने वाले अभियुक्त मौहम्मद अशरफ आलम द्वारा शादी का झांसा देकर पीडिता के साथ पीडिता के साथ दुष्कर्म करना तथा पीडिता को होटल में बुलाकर अपने साथी मौहम्मद नसीम आलम के साथ मिलकर दुष्कर्म करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर घटना पुरानी होने के कारण भा.द.वि. की धारा- 323/376डी/506 में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया

गया। तत्पश्चात थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौहम्मद नसीम आलम को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 23.12.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त मौहम्मद अशरफ आलम पुत्र मौहम्मद सलीम अन्सारी निवासी खरौना नरसिंहपुर थाना सकरा मुजफ्फरपुर बिहार, उम्र करीब 33 वर्ष को चित्रावन कट जल प्लांट रोड थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान दुष्कर्म की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मैनें अपने ही गांव की रहने वाली पीडिता को अपने जाल मे फंसाकर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये तथा अपने साथी मौहम्मद नसीम आलम के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा मौहम्मद नसीम आलम को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मैं पुलिस से बचते हुए घूम रहा था कि आज पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मौहम्मद अशरफ आलम पुत्र मौहम्मद सलीम अन्सारी निवासी खरौना नरसिंहपुर थाना सकरा मुजफ्फरपुर बिहार, उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.12.2024 को थाना भोजपुर पर वादी हर्षित पुत्र संजय राठी निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त 1. अशोक पुत्र रणबीर 2. उज्ज्वल पुत्र अशोक 3. संदीप पुत्र ब्रजबीर 4. बिजेन्द्र पुत्र रणबीर समस्त निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद द्वारा वादी व वादी के भाई के साथ लाठी डण्डो से मारपीट कर गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देने जिसमें वादी के भाई के सिर में चोट आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर धारा 115(2)/351(3)/352/118(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन व मेड़ीकल रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 109(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। तत्पश्चात दिनांक 03.12.2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1. अशोक पुत्र रणबीर 2.उज्जवल पुत्र अशोक निवासीगण ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 23.12.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त बिजेन्द्र पुत्र रणवीर निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 56 वर्ष को सैदपुर बैंक के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि वादी का घर और हमारा घर आमने-सामने हैं। उस दिन आपसी विवाद में वादी मुझे व मेरे परिवार वालों को गाली दे रहा था इसी बात को लेकर आपस में मारपीट हो गयी जिसमें वादी के भाई के सिर में काफी चोट लग गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

बिजेन्द्र पुत्र रणवीर निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 56 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।